परिपत्र संख्या-09/अध-3(2)/87/से0नि0पेंशन निर्धारण/2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांकः 15 जून, 2020

विषय— बंदीरक्षक/प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग के उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-852/22-1-2011-133/2008, दिनांक 23.06.2011, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत बंदीरक्षक एवं प्रधान बंदीरक्षक का ग्रेड वेतन दिनांक 23.06.2011 से क्रमशः ग्रेड वेतन रू0-2000/- एवं रू0-2400/- में उच्चीकृत किये जाने का प्राविधान है। साथ ही शासनादेश संख्या-1300/22-1-2011-133/2008, दिनांक 23.06.2011 के अधीन मुख्य प्रधान बंदीरक्षक(ग्रेड वेतन रू0-2400/-) के 12 पदों को उप कारापाल(उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0-4600/-) में संविलीन किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त क्रम में शासन के पत्रांकः रिट-398/22-1-2012-12(78)/2012, दिनांक 27.12.2012 का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत बंदीरक्षक/प्रधान बंदीरक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मियों को 26 वर्षीय सेवाओं के सापेक्ष स्वीकृत तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्यता की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों को ग्रेड वेतन उच्चीकरण की तिथि को उच्चीकृत ग्रेड वेतन के रूप में ग्रेड वेतन रू0-4800/- की अनुमन्यता के आदेश पारित किये गये है।

इस सम्बन्ध में कतिपय संयुक्त निदेशक, पेंशन तथा विभागीय संपरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न इकाईयों द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों के तत्क्रम में वेतन निर्धारण के क्रम में ग्रेड वेतन निर्धारण के क्रम में ग्रेड वेतन उच्चीकरण की तिथि को उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0-4800/- में, वेतन निर्धारण, बैण्ड वेतन परिवर्तित करते हुए किया जा रहा है। यह स्थिति औचित्यपूर्ण नही है तथा तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-6 में निहित प्राविधानों के प्रतिकूल भी है, इससे जहाँ बंदीरक्षक संवर्ग में वेतन विसंगतियों की स्थितियाँ प्रोद्भूत हो रही है, वहीं राजकोष से अधिक भुगतान के प्रकरण भी प्रकाश में आ रहे है, जो कि एक राजकीय क्षति का प्रकरण है।

अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर, समय रहते उक्त त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारणों को संशोधित कर लें, जिससे किसी भी प्रकार के अधिक/अनियमित भुगतान को रोका जा सके।

उदाहरणतः यदि तद्स्थितियों में तृतीय ए0सी0पी0 प्राप्त कर्मी का वेतन, वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.2010 को, ग्रेड वेतन रू0-4200/- में रू0-15300(11100+4200) हो और उसने ग्रेड वेतन उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया हो तो ग्रेड वेतन उच्चीकरण की तिथि दिनांक 23.06.2011 को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन, उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0-4800/- में रू0-15900(11100+4800) के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कर अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली/समायोजन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र वित्त नियंत्रक, कारागार के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

(संजीव त्रिपाठी)
उप महानिरीक्षक(मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।